तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 01 किशनगढ जिला अजमेर दीवानी दावा संख्या–33/2018 सी.आई.एस संख्या–34/2018 हनुमान प्रसाद बनाम विनोद व अन्य** 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

07.10.2025	श्री पवन प्रकाश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से। श्री गोविन्ददास पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 जाप्ता दिवानी का जवाब प्रस्तुत नही करना जाहिर किया। जिस पर इस प्रार्थना पत्र दिनांकित 08.07.2025 पर बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी न अपने जबावदावे के मद संख्या 01, 02, 04, 05 व 07 में नवीन तथ्य अंकित किये है जिनका जबाव दिया जाना आवश्यक है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया कि उन्होने कोई नवीन तथ्य अंकित नही किये है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जबावादावे के मद संख्या 01, 02, 04, 05 व 07 में नवीन तथ्य अंकित किये है जिनका वादी द्वारा जबाव दिया जाना न्यायासंगत प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत जबावुल जबाव को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात व पालना धारा 89 सी.पी.सी. दिनांक **11.11.2025** को पेश हो। **(संदीप आनन्द) अपर जिला न्यायाधीश सं.1, किशनगढ अजमेर**	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 01 किशनगढ जिला अजमेर दीवानी दावा संख्या–33/2018 सी.आई.एस संख्या–34/2018 हनुमान प्रसाद बनाम विनोद व अन्य 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये